सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK79657141567260S
Certificate Issued Date	:	07-Aug-2020 01:48 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1240504/ MUSSORIE/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK1240504622880953142 07S
Purchased by	:	NARESH CHAMOLI SON OF SH RAJKUMAR CHAMOLI
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	NARESH CHAMOLI SON OF SH RAJKUMAR CHAMOLI
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	NARESH CHAMOLI SON OF SH RAJKUMAR CHAMOLI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

COMMON SEAL OF THE MUNICIPAL BOARD MUSSOORIE

AMIT KUMAR THAKUR
STAMP VENDOR
LICENCE NO 173
COMPOUND MUSSOORIE

Please write or type below this line

आदेश

वाद संख्या 15/1984-85/ जनपद देहरादून में पर्यटक स्थान के विकास हेतु मसूरी स्थित पार्क एस्टेट/सर जार्ज एवरेस्ट हाउस/ मसूरी की 172.91 एकड़ भूमि का अर्जन , जिसमें भूमि अर्जन अधिनियम 1894/ अधिनियम संख्या 1, 1894/ की धारा 6 पठित धारा 17 के अधीन

शासकीय विज्ञप्ति संख्या 50/28-4-88-2(68)/85, दिनांक 30.1.88 को जारी हुई, तथा उ0प्र0 राजकीय असाधारण गजट दिनांक 30.1.88 को प्रकाशन हुआ है और 172.91 एकड़ भूमि का कब्जा दिनांक 3.6.88 को भू-धारन स्वामियों से लेकर अर्जन निकाय सहायक निदेशक पर्यटन मसूरी को दिनांक 3.6.88 को सौंप दिया गया है, तथा ऐवार्ड दिनांक 19.2.1990 को घोषित हुआ है के अन्तर्गत अधिग्रहित भूमि के स्वामित्व परिवर्तन का अमलदरामद निम्नवत् नगरपालिका अभिलेखों में किया जाये।

1. पार्क स्टेट मसूरी की 1.00 एकड़ भूमि पर श्री रमेश चन्द शाह पुत्र इन्द्रलाल शाह, जो पंजीकृत बैनामें द्वारा चौ0 पूर्ण सिंह पुत्र नैनसिंह द्वारा क्रय कर ली गई है, का नाम खारिज होकर दिनांक 3.6.88 से राज्य सरकार उ0प्र0 पर्यटन विभाग का नाम दर्ज हो।

2. पार्क स्टेट मसूरी की 2.00 एकड़ भूमि एवं उस पर सर जार्ज एवरेस्ट हाउस की सम्पत्ति पर श्री महेश चन्द शाह पुत्र श्री इन्द्रलाल शाह, जो पंजीकृत बैनामे द्वारा चौ0 प्रदीप सिंह पुत्र चौ0 पूर्ण सिंह द्वारा क्रय की गई है, का नाम खारिज होकर दिनांक 3.6.88 से राज्य सरकार उ0प्र0 पर्यटन विभाग का नाम दर्ज हो।

3. पार्क स्टेट मसूरी की 18.00 एकड़ भूमि पर श्री महेश चन्द शाह पुत्र श्री इन्द्रलाल शाह का नाम खारिज होकर दिनांक 3.6.88 से राज्य सरकार उ0प्र0 पर्यटन विभाग का नाम दर्ज हो।

4. पार्क स्टेट मसूरी की 2.50 एकड़ भूमि पर श्री महेश चन्द शाह पुत्र श्री इन्द्रलाल शाह, जो पंजीकृत बैनामे द्वारा श्री कीरत पाल पुत्र डोडी राम द्वारा क्रय कर ली गई है का नाम खारिज होकर दिनांक 3.6.88 से राज्य सरकार उ0प्र0 पर्यटन विभाग का नाम दर्ज हो।

5. पार्क स्टेट मसूरी की 32.00 एकड़ भूमि पर श्री डेविड पाल पुत्र श्री लुईश पाल का नाम खारिज होकर दिनांक 3.6.88 से राज्य सरकार उ0प्र0 पर्यटन विभाग का नाम दर्ज हो।

6. पार्क स्टेट मसूरी की 30.00 एकड़ भूमि पर श्री एम0के0

6. पार्क स्टेट मसूरी की 30.00 एकड़ भूमि पर श्री एम0एस0 रामामूर्ति व श्रीमती श्यामला पप्पू का नाम खारिज होकर दिनांक 3.6.88 से राज्य सरकार उ0प्र0 पर्यटन विभाग का नाम दर्ज हो ।

7. पार्क स्टेट मसूरी की 21.50 एकड़ भूमि पर श्री गोपाल शाह पुत्र इन्द्रलाल शाह, जो पंजीकृत बैनामे द्वारा मैसर्स राजगिरी मिनरल्स द्वारा क्रय कर लिया गया है, का नाम खारिज होकर दिनांक 3.6.88 से राज्य सरकार पर्यटन विभाग का नाम दर्ज हो ।

8. पार्क स्टेट मसूरी की 10.00 एकड़ भूमि पर श्री गोपाल शाह पुत्र श्री इन्द्रलाल शाह, जो पंजीकृत बैनामा द्वारा मैसर्स उत्तराखण्ड मिनरल्स द्वारा क्रय किया गया है, का नाम खारिज होकर राज्य सरकार उ0प्र0 पर्यटन विभाग का नाम दर्ज हो ।

क्रमशः पृष्ठ—2———

9. पार्क स्टेट मसूरी की 55.91 एकड़ भूमि पर मैसर्स आनन्द ब्रादर्स, जगदीश आनन्द, रमेश चन्द शाह, पुत्र श्री इन्द्रलाल शाह, राजकुमार आनन्द, कैलाश चन्द एवं श्री वी0पी0 राजबन्शी का नाम खारिज होकर दिनांक 3.6.88 से राज्य सरकार उ0प्र0 पर्यटन विभाग का नाम दर्ज हो ।

10. पार्क स्टेट, मसूरी की कुल योग-172.91 एकड़ भूमि जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार दी हुई है पर दिनांक 3.6.88 से राज्य सरकार उ0प्र0 पर्यटन विभाग का नाम दर्ज हो ।

उत्तर-पार्क स्टेट लेपर्ड लाल स्टेट ।
दक्षिण-पार्क स्टेट व लम्बी धार ।
पूर्व- स्नोडन व कार्ट मैकेन्जी रोड ।
पश्चिम- पार्क स्टेट की भूमि ।

जिलाधिकारी,
देहरादून ।

4. Date on which application was made to copy accompanied by the requisite Stamp....10.....
2. Copied by.....Date.07/8/2023
3. Compared by.....Date.....
4. Date on which the copy was ready for delivery and notice pasted on notice Board.....
5. Date of delivery of copy.....
6. Signature of official delivering copy

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, मसूरी

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK78211999241359S
Certificate Issued Date	:	28-Jul-2020 11:35 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1214604/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK1214604593698844309 58S
Purchased by	:	NARESH CHAMOLI
Description of Document	:	Article Miscellaneous
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	NARESH CHAMOLI
Second Party	:	nA
Stamp Duty Paid By	:	NARESH CHAMOLI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

MANGAL SINGH
Lic.No.-L.No. 56
STAMP VENDOR
COURT COMPOUND, DEHRADUN

Please scrutinize this document carefully

NON SEAL OF THE MUNICIPAL BOARD
मुहर आम मिउनसिपल बोर्ड
منصوري
MUSSOORIE

रजिस्टर्ड नं० यू० डी०—4

लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्सड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

(लाइसेन्सड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 30 जनवरी, 1988

माघ 10, 1909 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

पर्वतीय विकास अनुभाग-4

संख्या 50/28-4-88-2(68)-85

लखनऊ, 30 जनवरी, 1988

अधिसूचना

प० आ०--101

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गई और अन्तिम बार उत्तर प्रदेश गजट, दिनांक 2 जनवरी, 1988 में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना संख्या 4963/28-4-86-2(68)-85, दिनांक 21 सितम्बर, 1987 के क्रम में राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजन, अर्थात, जिला देहरादून में पर्यटक स्थान के विकास के लिये आवश्यकता है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन देहरादून के कलेक्टर को निदेश देते हैं कि वे उक्त भूमि का अर्जन करने के लिये कार्यवाही करें।

2—चूंकि राज्यपाल का समाधान हो गया है कि यह मामला आत्ययिक (अर्जेन्ट) है, इसलिये वे उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन यह भी निदेश देते हैं कि यद्यपि धारा 11 के अधीन कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है, देहरादून के कलेक्टर उक्त लोक प्रयोजन के लिये, अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा, धारा 9 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से पन्द्रह दिन के अवसान पर कर सकते हैं।

अनुसूची

क्रम	परगना	ग्राम	स्टेट का नाम	लगभग क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

अनुसूची

जिला	परगना	ग्राम	स्टेट का नाम	लगभग क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
देहरादून	देहरादून	मंसूरी	पार्क एस्टेट (सर जार्ज एवरेस्ट हाउस) उत्तर—पार्क एस्टेट लेपार्ड काटेज एस्टेट दक्षिण—पार्क एस्टेट लम्बीधार पूर्व—स्नो व्यू एवं कार्ट मैकेंजीरोड पश्चिम—पार्क एस्टेट भूमि ।	172.91 एकड़
			योग ..	172.91 एकड़

किस प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—जिला देहरादून में पर्यटक स्थान के विकास के लिये ।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा (साइट प्लान) देहरादून के कलेक्टर/उप/विशेष भूमि अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

आज्ञा से,
आर० के० दर,
प्रमुख सचिव ।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 50/XXVIII-4-88-2(68)-85, dated, January 30, 1988 for general information :

No. 50/XXVIII-4-88-2-(68)-85

Dated Lucknow, January 30, 1988

IN continuation of Government notification no. 4963/28-4-86-2-(68)-85, dated September 21, 1987 issued under sub-section (1) of section 4 and sub-section (4) of section 17 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act no. 1 of 1894) and lastly published in the Uttar Pradesh *Gazette* dated January 2, 1988 the Governor is pleased to declare under section 6 of the said Act, that he is satisfied that the land mentioned in the Schedule below is needed for a public purpose, namely, for the development of Tourist Place in district Dehradun and under section 7 of the said Act to direct Collector of Dehradun to take order for the acquisition of the said land.

2. The Governor, being satisfied that the case is one of urgency, is further pleased under sub-section (1) of section 17 of the said Act, to direct that the Collector of Dehradun, though no award under section 11 has been made, may, on the expiration of fifteen days from the publication of the notice mentioned in sub-section (1) of section 9, take possession of the land menioned tin the schedule below for the said public purpose :

SCHEDULE

District	Pargana	Village	Name of Estate	Approximate Area (Acres)
1	2	3	4	5
Dehra dun	Pachhwadun	Mussoorie	Park Estate (Sir George Averest House) *North* : Park Estate Leopard Lodge Estate. *South* : Park Estate and Lambidhar. *East* : Snowdon and Cart Manknji Road. *West* : Park Estate Land.	172.91 acres
			Total ..	172.91 Acres

For what purpose required:—Development of Tourist Place in District Dehradun.

NOTE : A site plan of the land may be inspected in the office Of the Collector, Dehradun/ Dy./Special Land Acquisition Officer, Dehradun.

By order,
R. K. DAR,
Pramukh Sachiv.

4. Date on which application was made to copy accompanied by the requisite Stamp...10.....
2. Copied by ..... Date 07/8/2020
3. Compared by ..... Date.....
4. Date on which the copy was ready for delivery and notice pasted on notice Board.....
5. Date of delivery of copy .....
6. Name of official delivering copy....

7 2 नोट सं- 93/607 दि- 7/8/2020 रु 300/-
8 श्री नरेश चमोली
9. Reg No. 34

अभिलेखागार
नगर पालिका परिषद, मसूरी

TRUE COPY
Office Supdt.,
For Executive Officer,
City Board, Mussoorie

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पज0 2057 राजपत्र (हि0)—(4030)—1988-1830+125 (ले0 0)